



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निर्देशन में **SHO** चरखारी शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित संयुक्त पुलिस टीम ने अभियान में शामिल होकर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सफलता पायी जिसमें प्रथम टीम के द्वारा दिनांक 17.05.2021 को थाना स्थानीय में पंजीकृत मु.अ.स. 107/21 धारा 306 **IPC** के वांछित अभियुक्त मातादीन पुत्र नत्थू उर्फ नाथूराम कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में द्वितीय टीम ने आज दिनांक 18.05.2021 को थाना स्थानीय में पंजीकृत मु.अ.स. 110/21 धारा 354 क/147/149/308/323/452/504/506 **IPC** व 8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्त क्रमशः 1. महेन्द्र यादव पुत्र बट्टी यादव उम्र करीब 19 वर्ष 2. जुगला उर्फ जुगल पुत्र तुलसी यादव उम्र करीब 28 वर्ष 3. मंगल पुत्र तुलसी यादव उम्र करीब 22 वर्ष को ग्राम बम्हौरीकला से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

## गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण...

**(प्रथम टीम)** 1. उ.नि. चेताराम 2. का. विजय कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा।

**(द्वितीय टीम)** 1. उ.नि. चेताराम 2. का. राहुल यादव 3. का. अंकित यादव।

## गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण...

1. मातादीन पुत्र नत्थू उर्फ नाथूराम कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष नि. ग्राम बमरारा थाना चरखारी जिला महोबा
  2. महेन्द्र यादव पुत्र बट्टी यादव उम्र करीब 19 वर्ष
  3. जुगला उर्फ जुगल पुत्र तुलसी यादव उम्र करीब 28 वर्ष
  4. मंगल पुत्र तुलसी यादव उम्र करीब 22 वर्ष
- समस्त नि.गण ग्राम बम्हौरीकला थाना चरखारी जिला महोबा।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## अग्निशमन टीम द्वारा लगातार किया जा रहा है सैनेटाइजेशन का कार्य...

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने व जनपदवासियों को इस महामारी से बचाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अग्निशमन टीम द्वारा जनपद में भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगातार सैनेटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, इसी क्रम में आज दिनांक 18.05.2021 को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं फायर सर्विस टीम द्वारा निम्न स्थानों को सैनेटाइज किया गया---



1. थाना कोतवाली महोबा
2. चौकी सुभाष
3. चौकी बजरिया
4. चौकी मनियादेव
5. महिला थाना
6. उप कारागार महोबा
7. रोडवेज बस अड्डा, रोडवेज वर्कशॉप...।



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## थाना कबरई पुलिस टीम ने फर्जी रायल्टी के साथ अवैध खनन/परिवहन कर रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के नेतृत्व में फर्जी रायल्टी के साथ अवैध खनन/परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 18.05.2021 को थानाध्यक्ष कबरई दिनेश कुमार सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर 03 नफर अभियुक्त व मय 03 अदद मोबाइल व एक अदद ट्रक नं. UP 32 LN 8267 (डम्पर) व एक अदद मो.सा. नं. UP 95 P 0896 अपाचे थाना कार्यालय दाखिल किया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0.अ.सं. 147/2021 धारा 379/411/420/467/468/471/186 भादवि व धारा 4/21 खान एवं खनिज अधि. व धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवा0 अधि0 थाना कबरई में पंजीकृत कराया गया मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1. इमरान खान पुत्र इकबाल खान उम्र 30 वर्ष 2. ट्रक चालक मुकेश कुमार वर्मा पुत्र अच्छेलाल उम्र 25 वर्ष 3. मोहित शुक्ला पुत्र देवेन्द्र कुमार शुक्ला उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त मोहित शुक्ला के कब्जे से बरामद एक अदद प्रिन्टर बरामद करते हुये उसके द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे मोबाइल से फर्जी रायल्टी, बिल आदि को निकलाकर उसके द्वारा कारित अपराध को स्पष्ट करते हुये जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण...।

1. इमरान खान पुत्र इकबाल खान उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम नरायच थाना मौदहा जनपद-हमीरपुर हाल पता मकान नं.-473/294 दीनदयाल नगर, खादरा थाना हसनगंज जनपद लखनऊ
  2. ट्रक चालक मुकेश कुमार वर्मा पुत्र अच्छेलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सिलौली थाना मौदहा जनपद-हमीरपुर
  3. मोहित शुक्ला पुत्र देवेन्द्र कुमार शुक्ला उम्र 32 वर्ष निवासी बरबई थाना कबरई जिला महोबा
- बरामदगी:-** 03 अदद मोबाइल व एक अदद ट्रक नं. UP 32 LN 8267 (डम्पर) व एक अदद मो.सा. नं. UP 95 P 0896 अपाचे व एक अदद प्रिन्टर hp



### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...थाना कबरई।

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शुक्ला
2. कां. हरिओम
3. कां. विक्रम
4. म.का. सुमन ।



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.05.2021**

# **महोबा पुलिस**



**सोशल मीडिया सेल**

## **कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार**



आज दिनांक 18.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० श्री अनूप कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत **मु०अ०सं० 162/21 धारा 376(3)/452/504/506 भादवि व 4 पाक्सो अधि० व 3(1)द,ध 3(2)5क 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट** में नामजद वाँछित अभियुक्त मो० इदरीश पुत्र हुसैन खां उम्र करीब 35 वर्ष निवासी करहरा कला थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा को गिरफ्तार कर बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

मो० इदरीश पुत्र हुसैन खां उम्र करीब 35 वर्ष निवासी करहराकला थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. SHO श्री अनूप कुमार दुबे
2. का० अरविन्द कुमार
3. का० कृष्णपाल
4. का० अजीत कुमार



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा जुआ खेलते 04 जुआरियों को किया गिरफ्तार



दिनांक 17.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे जुआरियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1. बबलू पुत्र मुस्ताक उम्र 40 वर्ष 2. उबैशी पुत्र यूनुस उम्र 20 वर्ष 3. नाजिर पुत्र मो० युनुस उम्र 25 वर्ष 4. मो० कबीर पुत्र मरहूम मुसीर उम्र 21 वर्ष नि०गण मोहल्ला तकियापुरा थाना कोतवाली महोबा को रुपये-पैसे से ताश-पत्तो द्वारा हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया। **जिनके कब्जे से मालफड 6500/- रू० जामा तलाशी 4000/रू० व 52 अदद ताश पत्ता बरामद किया गया।** अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना हाजा पर **मु०अ०स० 244/21 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. बबलू पुत्र मुस्ताक उम्र 40 वर्ष    | 2. उबैशी पुत्र यूनुस उम्र 20 वर्ष          |
| 3. नाजिर पुत्र मो० युनुस उम्र 25 वर्ष | 4. मो० कबीर पुत्र मरहूम मुसीर उम्र 21 वर्ष |
- नि०गण मोहल्ला तकियापुरा थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।

### बरामदगी:-

मालफड 6500/-रू० व जामातलाशी 4000/-रू० व 52 अदद ताश पत्ता

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. व०उ०नि० आनन्द कुमार | 2. उ०नि० उपेन्द्र प्रताप सिंह |
| 3. हे०का० अनिल कुमार   | 4. का० रोहित कुमार            |



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन**

आज दिनांक 18.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन को सफल बनाने हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को कोविड प्रोटोकॉल व लॉकडाउन के प्रति जागरुक करते हुए पालन करने की अपील की गई, लोगो से बिना वजह घरो से बाहर न निकले एवं मास्क का प्रयोग करने को कहा गया। क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा कोविड-19 प्रेक्षक के साथ थाना कोतवाली महोबा अन्तर्गत ग्राम चुरबरा आदि का भ्रमण किया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर **18 ई-चालान व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 24 व्यक्तियों से 7200/-रु० शुल्क वसूल किया गया।**

